INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02905253249579V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SARLA AWASTHI
ACC Code
Gate No.-4 Civil Court, Lucknow

Certificate No.	:	IN-UP02905253249579V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 02:54 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14847904/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14847904014140612787З4V
Purchased by	:	SHYAM PACHOURI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHYAM PACHOURI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHYAM PACHOURI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ NOTARIAL

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA

शैलेन्द्री शर्मा

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(प्रारूप–"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप।

।। शपथ–पत्र ।।

हम श्याम पचौरी अध्यक्ष एवं श्रीमती शैलेन्द्री शर्मा उपाध्यक्ष क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर0 एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट 18–ए, जगन्नाथपुरी कालोनी, कमता, चिनहट, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा **एग्जूलियम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्राम अगासण्ड, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह की हमारे ट्रस्ट का नाम **आर0 एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्र स्ट, 18–ए, जगन्नाथपुरी कालोनी, कमता, चिनहट, लखनऊ (पता जहां पर भूमि स्थित है) ग्राम अगासण्ड, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी** में गाटा संख्या 267/2मि0 एवं रकबा 8350 वर्ग मीटर (0.8350 हैक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के **गाटा संख्या 267/2मि0 रकबा 8350 वर्ग मीटर (0.8350 हैक्टेयर)** पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 30/06/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY GOVT. OF INDIA

शैलेन्द्री शर्मा

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि का फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA

शैलेन्द्री शर्मा
ह0 उपाध्यक्ष

ह0 अध्यक्ष

Sworn and Verified before me.

ASHOK KUMAR DIXIT
Advocate & Notary
9839361342